न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 67/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

प्रभुराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबा तहसील संगरिया। वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
2. जीताराम पुत्र मनीराम जाति बाजीगर निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
3. मुखत्यार कौर पत्नी वीरा जाति बाजीगर निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
4. मांगीलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
5. वीरपाल कौर पत्नी देशराम जाति बाजीगर निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
6. सुखदेव सिह पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
7. बाबूसिह पुत्र करतार सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री महावीर बेरड़ अधिवक्ता – वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता – प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.061 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.061 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त खाता की समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसका वादी ने कब्जाकाष्त के रोज से ही प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काष्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत् प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के साथ कोई विवाद नही है तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

(क) वादी प्रभुराम पुत्र श्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–
चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	16/1/0.114 है., 16/2/0.012है.(किला की उतरी दिशा में), 17/0.006 है.(किला की पूर्वी दिशा में) कुल 0.132 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 गोपीराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–
चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	17/0.072 है. कुल 0.072 है. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ग) प्रतिवादी सं. 2 जीताराम पुत्र श्री मनीराम जाति बाजीगर निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.046 है., 15/2/0.005 है.कुल 0.051 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 मुखत्यार कौर पत्नी श्री वीरा जाति बाजीगर निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.046 है., 15/2/0.005 है. कुल 0.051 है. कृषि भूमि

(ड़) प्रतिवादी सं. 4 मांगीलाल पुत्र श्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	17/0.049 है., 15/1/0.022 है., 15/2/0.003 है. कुल 0.074 है. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 5 वीरपाल कौर पत्नी श्री देषराम जाति बाजीगर निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.068 है., 15/2/0.007 है.कुल 0.075 है. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 6 सुखदेव सिंह पुत्र श्री नूराराम जाति बाजीगर निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.046 है., 15/2/0.005 है.कुल 0.051 है. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 7 बाबू सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
216/146	46	1,10/0.253 है.प्र., 11/1/0.038 है., 12/1/0.228है., 12/2/0.025 है., 13/1/0.139 है., 13/2/0.038 है., 14/1/0.025 है., 14/2/0.025 है., 19/1/0.076 है., 19/2/0.075 है.
215/146	47	16/1/0.114 है., 16/2/0.013 है., 17/0.126 है., 25/1/0.139 है., 25/2/0.038 है. कुल 1.555 है. मय गै.मु. कृषि भूमि वादी खातेदार होने के रोज से

ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काष्त करता आ रहा है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाष्त बाबत् कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीवबट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेषा रहता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन बाद में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 8 को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी खाता विभाजन का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी वादी प्रभुराम ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। प्रकरण में सहमति हो जाने के कारण वादी/प्रतिवादी ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने का निवेदन करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादी सह–काश्तकार है वादग्रस्त कृषि भूमि का हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति के जवाब दावा भी पेश हो चुके है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 चक 2 बीजीपी के अवलोकन से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादी प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर वादी अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादी खाता विभाजन का अधिकारी है। साथ ही प्रकरण में वादी एव प्रतिवादी के मध्य वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुके है इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का पत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 2 बीजीपी के खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी एव प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादी प्रभुराम पुत्र श्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

   चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	16/1/0.114 है., 16/2/0.012है.(किला की उतरी दिशा में),

कलेक्टर एवं
खण्ड अधिकारी
संगरिया

17/0.006 है.(किला की पूर्वी दिशा में) कुल 0.132 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 गोपीराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	17/0.072 है. कुल 0.072 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 2 जीताराम पुत्र श्री मनीराम जाति बाजीगर निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.046 है., 15/2/0.005 है.कुल 0.051 है. कृषि भूमि

4. प्रतिवादी सं. 3 मुखत्यार कौर पत्नी श्री वीरा जाति बाजीगर निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.046 है., 15/2/0.005 है. कुल 0.051 है. कृषि भूमि

5. प्रतिवादी सं. 4 मांगीलाल पुत्र श्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	17/0.049 है., 15/1/0.022 है., 15/2/0.003 है. कुल 0.074 है. कृषि भूमि

6. प्रतिवादी सं. 5 वीरपाल कौर पत्नी श्री देषराम जाति बाजीगर निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.068 है., 15/2/0.007 है.कुल 0.075 है. कृषि भूमि

7. प्रतिवादी सं. 6 सुखदेव सिंह पुत्र श्री नूराराम जाति बाजीगर निवासी पक्का सहारणा के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/146	47	15/1/0.046 है., 15/2/0.005 है.कुल 0.051 है. कृषि भूमि

8. प्रतिवादी सं. 7 बाबू सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 48/66 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
216/146	46	1,10/0.253 है.प्र., 11/1/0.038 है., 12/1/0.228है., 12/2/0.025 है., 13/1/0.139 है., 13/2/0.038 है., 14/1/0.025 है., 14/2/0.025 है., 19/1/0.076 है., 19/2/0.075 है.
215/146	47	16/1/0.114 है., 16/2/0.013 है., 17/0.126 है., 25/1/0.139 है., 25/2/0.038 है. कुल 1.555 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

अतः उक्तानुसार अनुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी हो :–

निर्णय आज दिनांक 18.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया